न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :– 73/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/190

अपीलार्थीगण :–

1. श्रीमती कमला पुत्री स्व. नेनाराम पत्नी छगनाराम जाति मेघवाल, उम्र 68 वर्ष निवासी गण्डेरों की ढ़ाणी सूरसागर जिला जोधपुर।
2. श्रीमती सुआ पुत्री स्व. नेनाराम पत्नी चिमनाराम जाति मेघवाल, उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. अनोप पुत्री गोविन्दराम पत्नी पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी गण्डेरों की ढ़ाणी, सूरसागर जोधपुर।
2. इन्द्रा पुत्री गोविन्दराम पत्नी श्री बाबूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पाल तहसील जोधपुर।
3. कौशल्या पुत्री गोविन्दराम पत्नी नेनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम तनावडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
4. गोगी देवी पुत्री गोविन्दराम पत्नी किसनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पाल तहसील जोधपुर।
5. लीला पुत्री गोविन्दराम पत्नी मदाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बेवटा खुडाला तहसील लूणी जिला जोधपुर।
6. चैनाराम पुत्र गोविन्दराम दत्तक पुत्र मिसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
7. जीयाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
8. दौलाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
9. हीराराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
10. कबूडी पत्नी स्व. मिसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
11. ओमप्रकाश पुत्र नथाराम मेघवाल निवासी झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर (खरीददार)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

अपील अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बरखिलाफ आदेश विरासत/फौतदगी इन्तकाल संख्या 853 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 24.__.1986 को स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:46 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी (अपीलार्थीगण)।
2. अधिवक्ता श्री भानु प्रकाश राजपुरोहित (1, 4, 5, 7, 8, 9)
3. अधिवक्ता श्री अनिल राठी (6 व 10)
4. अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित (रेस्पो. 11 की ओर से)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

–: आदेश :– दिनांक :– 30.04.2025

1. यह अपील राजस्थान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत ग्राम झंवर के नामान्तरकरण संख्या 853 पर दिनांक 24.05.1986 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 24.12.2021 को पेश की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 11 की ओर से वकालतनामा पेश किये गये। तहसीलदार झंवर से रिकार्ड तलब किया गया।

3. अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झंवर तहसील लूणी के खसरा नम्बर 93 रकबा 22–06 बीघा, खसरा नम्बर 281 रकबा 24–14 बीघा, खसरा नम्बर 272 रकबा 18–02 बीघा, की कृषि भूमि नैनाराम पुत्र बस्ताराम की खातेदारी में थी तथा नैनाराम का सन् 1984 में देहान्त होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 853 दिनांक 24.05.1986 से, केवल मात्र नेनाराम के दो पुत्रों मीसाराम व गोविन्दराम के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया तथा नैनाराम के अन्य वारिसान की जांच किए बिना ही केवल पुत्रों का नाम दर्ज किया गया जबकि अपीलांटस नेनाराम की जायन्दा पुत्रीयां होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के बावजूद उनका नाम दर्ज नहीं किया है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करते समय उन्हे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस ने कभी भी अपने हकों का प्रत्यर्थीगण के हक में त्याग नहीं किया है। उक्त इन्द्राजो की सर्वप्रथम अपीलांटस को जानकारी दिनांक 05.12.2021 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकले मांगने पर पटवारी ने बताया कि विरासत के म्यूटेशन में केवल दो पुत्रों, मिसाराम व गोविन्दराम का नाम ही दर्ज किया है, जिस पर दिनांक 08.12.2021 को नकले प्राप्त होने पर यह अपील पेश की जा रही है। अपील के संलग्न खानदान सजरा भी पेश किया गया तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु म्याद कानून की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश किया।

4. प्रत्यर्थी संख्या 6 व 10 की ओर से अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 के विरुद्ध लिखित जवाब पेश कर अभिकथन किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 14:34:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कि अपील म्याद बाहर होने प्रारंभतः खारिज योग्य है तथा मेरिट पर इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। इस जबाब में प्रारम्भिक आपत्तियां यथा

A. अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं है–

a. क्यों कि प्रथम तो नेनाराम का परिवार संयुक्त हिन्दु परिवार था। अपीलांटस पुत्रियां संयुक्त परिवार की सदस्या नहीं हो सकती, इनका विवाह कर दिया गया था, इनका नेनाराम की सम्पति में कोई हिस्सा बनता ही नहीं है।

b. अपीलांटस का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा ही नहीं रहा। म्यूटेशन की कार्यवाही मात्र फिस्कल प्रोसिडिंग है। अपीलांटस को नामान्तरकरण व हस्तान्तरणों की पूरी जानकारी थी।

c. रिकार्ड ऑफ राईटस में अपीलांटस का नाम ही नहीं है। कब्जा प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है।

d. हस्तान्तरणों के दस्तावेजो को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही अपीलांटस ने नहीं की है। नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में अपीलांटस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

B. म्यूटेशन अपील अत्यन्त देरीना ही नहीं, दुर्भावनापूर्ण व बिना किसी संतोषजनक आधार के पेश की गई है–

a. नामान्तरकरण संख्या 853 दिनांक 24.05.1986 को तस्दीक हुआ है परन्तु यह अपील 35–36 साल बाद में पेश हुई है जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है।

b. धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित कथन झूंठे व गलत है। अपील म्याद बाहर है।

c. अपीलांटस ने देरी बाबत उचित व संतोषजनक कारण नहीं बताए है जो माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों अनुसार देरी को क्षम्य करने हेतु अपीलांट की मदद नहीं करते है तथा अपील खारिज योग्य है।

C. म्याद अधिनियम द्वारा न्यायालय का दायित्व है कि न्यायालय स्वयं अपील अन्दर म्याद पेश होने बाबत जांच करेगा।

D. म्याद बाहर अपील को मात्र म्याद [illegible] ही खारिज किया जाना आवश्यक है तथा मेरिट पर ऐसी अपीलों की [illegible]ई नहीं की जा सकती।

E. म्याद के आधार पर विपक्षी पक्ष के प्राप्त अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता। 35–36 वर्ष पूर्व दर्ज अधिकारों को अब इस अपील के जरिए समाप्त नहीं किया जा सकता अपीलान्ट्स ने देरी बाबत प्रतिदिन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जो आवश्यक है अपीलान्ट्स ने अपनी स्वयं की कल्पना से देरी को कन्डोन करने बाबत झूठी कहानी गठित की है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता तथा 5.12.2021 को सर्वप्रथम जानकारी होने का कथन मानने योग्य नहीं है, इस तथ्य का कोई आधार ही नहीं है मात्र अपील को म्याद सीमा में लाने के लिए 5.12.2021 की तिथि निर्धारित की है। इस प्रकार 35–36 वर्षो के बाद अविश्वसनीय कहानी के आधार पर देरी को कन्डोन करना विधि प्रावधानों के विपरीत है। अतः यह न्यायालय इस अपील को मेरिट पर सुनने से Functus Officio है। अतः अपील म्याद बिन्दु पर खारिज की जावे।

उपरोक्त के अतिरिक्त इनका यह भी कहना है कि वर्तमान में सम्पति के भाव बढ़ने अपीलांट ने यह अपील 35–36 वर्ष बाद पेश की है जबकि वे विवाहित होकर ससुराल चली गई है तथा नेनाराम की सम्पति में सहदायिकी नहीं रही। नामान्तरकरण–583 की अपीलांट्स को भली भांति जानकारी थी।

अतः अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक श्री बांकाराम चौधरी ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए तर्क दिए कि– प्रकरण में नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व नियमानुसार नेनाराम के सभी कानूनी वारिशान की पूरी जांच पटवारी, भू.अ.नि. व तहसीलदार द्वारा की जाना अपेक्षित थी परन्तु नियमों की अनदेखी की गई तथा सही जांच नहीं करने के कारण नेनाराम की अपीलाट्स पुत्रियों के नाम रिकार्ड में दर्ज होने से छूट गए है। नेनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में किसी भी दस्तावेज–यथा–वसीयत, दान, बेचान, हक तर्क इत्यादि से विवादग्रस्त आराजी का व्ययन नहीं किया है तथा कानून द्वारा पुत्रियां–प्रथम श्रेणी की वारिशान है तथा उत्तराधिकार के मामलों में कब्जे नही होने की उज्रदारी मान्य नही होती। अपीलांट–अनुसूचित जाति की अशिक्षित ग्रामीण परिवेश की महिलाए है तथा ससुराल में रहती है। नेनाराम की मृत्यु पर विरासत नामान्तरकरण दर्ज करते समय उन्हे कोई सुनवाई का [illegible] सूचना प्राप्त ही नही हुई। बिना सही जांच किए मात्र पुत्रों के नाम नामान्तरकरण दर्ज करना कानूनी रूप से गलत है। विवादित [illegible] अपीलांट्स को कोई जानकारी दिनांक 05.12.2021 से पहले न[illegible] थी। प्रत्यर्थीगण ने ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी 05.12.2021 से पहले थी। जवाब में अंकित कथन अपीलांट्स पर लागू नही होते है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

7. अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक की उक्तानुसार बहस के तर्कों का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी–गण के विद्वान अभिभाषक श्री अनिल राठी ने कथन किया कि धारा–5 के प्रार्थना पत्र के जवाब में विस्तृत जवाब पेश कर दिया गया है। अपील बहुत देरी से पेश की गई है तथा देरी को संतोषजनक तरीके से व सुसंगत कारणों से साबित नही किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिदिन हुई देरी को कारणों सहित न्यायालय को संतुष्ट करने के सिद्धान्त प्रतिपादित किए है। अतः म्याद के बिन्दु पर ही अपील को बिना मेरिट पर परीक्षण किए खारिज किया जावे। उक्त के निरन्तर में श्री राठी ने मेरिट पर कथन करते हुए तर्क दिया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी व फिस्कल प्रोसिडिंग है। इससे पक्षकारों के अधिकारों को तय नही किया जा सकता । अपीलांटस को अपने अधिकारो, हितों व अधिकारों का निर्धारण सक्षम न्यायालय से करवाना चाहिए।

8. प्रत्यर्थीगण की उक्त बहस के प्रत्युत्तर में अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री चौधरी ने तर्क दिया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होने के बाद तो प्रतिदिन देरी का ब्यौरा दिया जा सकता है परन्तु इस प्रकरण में दिनांक 05.12.2021 से पहले जानकारी ही नही थी, तो प्रतिदिन सन् 1986 से देरी का ब्यौरा नही दिया जा सकता। न्यायालय द्वारा पक्षकारो की उपस्थिति में पारित आदेशों बाबत, उपस्थित पक्षकारों द्वारा प्रतिदिन देरी का कारण दिया जा सकता है। अपीलांट्स दिनांक 24.05.1986 को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित ही नही थी। हस्तगत प्रकरण में विद्यमान कानूनी प्रावधानों का ही उल्लंघन किया गया है तथा आदेश विधि प्रावधानों के विपरीत है। पुत्रियों का पिता की पुश्तेनी सम्पत्ति में जन्म से ही कानूनी रूप से अधिकार है। उन्हे न्यायालय से घोषणा करवाने हेतु बाध्य नही किया जा सकता। जब नैनाराम की मृत्यु पर प्रत्यर्थीगण को बिना घोषणात्मक डिक्री के, नामान्तरकरण से अधिकार मिल सकते है, तो अपीलांट्स को जरिए नामान्तरकरण अधिकार क्यों नही मिल सकते। दोनों पक्षकार समान वाद कारण पर खड़े है, दोनों के लिए अलग–अलग प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। प्रत्यर्थीगण ने अपीलांट्स को नेनाराम जी की जायन्दा पुत्रियों नहीं होना अस्वीकार नहीं किया है। अतः स्वीकार्य तथ्य है कि अपीलांट्स नेनाराम की जायन्दा पुत्रियां है तथा वे हिन्दू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:46 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उत्तराधिकारी एक्ट में– प्रथम वर्ग के वारिस होने से जन्म से ही उनका हितद्व अधिकार, नेनाराम की सम्पति में सृजित हो चुका है तथा उसे प्राप्त करने की वे कानूनी रूप से अधिकारिणी है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 853 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार झंवर को नियमानुसार जांच कर अपीलांट्स को भी प्रत्यर्थीगण के साथ खातेदार दर्ज करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस के तर्को पर मनन किया तथा सम्बन्धित लागू विधिक प्रावधानों की जानकारी प्राप्त की। हमारा विनिश्चिय इस प्रकार है:–

A. (i) ग्राम झंवर का नामान्तरकरण संख्या 853 के कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण अनुसार ख.न. 272 रकबा 19–01 बीघा, ख.न. 281 रकबा 24–14 बीघा, तथा ख.न. 3 रकबा 22–06 बीघा कुल 66–01 बीघा, नेनाराम पुत्र बस्ताराम कौम भाम्बी साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 853 के कॉलम संख्या 14 से 16 में " नैनाराम फौत होने से उनके लड़कों के नाम से नामान्तरकरण भरा गया"। वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत हैं। पटवारी 23.05.86 तथा कॉलम संख्या 11 में मिसाराम, गोविन्दराम पुत्र नेनाराम कौम भाम्बी, सा. देह खातेदार अंकित है जिसे तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया है, दिनांक 24.05.1986 को भू.अ.नि. ने रिकार्ड से मिलान करने का नोट अंकित किया है। इस नामान्तरकरण संख्या 853 की नकल पटवारी झंवर द्वारा दिनांक 08.12.2021 को जारी की है जो अपील मीमों के साथ पेश की है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2042 से 2045, खाता संख्या 212 (पुराना 199) अनुसार भी ख.न. 272, 281, 93 में उक्त भूमि नेनाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 853 से नेनाराम को फौत अंकित करते हुए मिसाराम, गोविन्दराम, पुत्र नेनाराम के नाम दर्ज किया गया।

ii जमाबंदी संवत 2074 से 2078 के खाता संख्या 385 अनुसार खसरा संख्या 272 रकबा 3.0837 है. भूमि ओमप्रकाश पुत्र नाथाराम 1/2 हिस्सा, कबूडी पत्नी मीसाराम 1/4 हिस्सा, तथा चैनाराम दत्तक पुत्र मिसाराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है।

iii इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2074 से 2078 के खाता संख्या 138 अनुसार खसरा नम्बर 281 रकबा 2.5988 है भूमि संख्या 1 से 9 तक के नाम खातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

iv, इसी प्रकार झंवर की जमाबन्दी संवत 2074 से 2078 के खाता संख्या 384 अनुसार खसरा नम्बर 93 रकबा 3.6098 है. भूमि कबूडी पत्नी मिसाराम 1/2 हिस्सा, चेनाराम दत्तक पुत्र मिसाराम 1/2 हिस्सा दर्ज है।

B (i) उक्तानुसार बिन्दु A(i) में अंकित विवरणानुसार नेनाराम के फौत होने पर पटवारी हल्का की टिप्पणी अनुसार सिर्फ नेनाराम के पुत्र मीसाराम व गोविन्दराम के नाम से ही नामान्तरकरण दर्ज किया है तथा टिप्पणी में या आदेश में यह अंकित नहीं है कि नेनाराम के अन्य कोई वारिसान नहीं है। जबकि राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.)नियम 1957 के नियम 119 से 147 तक में नामान्तरकरण दर्ज करने, जांच की प्रक्रिया इत्यादि का प्रावधान किया हुआ है जिनके अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त उत्तराधिकार के प्रकरणो में वारिसान की जांच की जाकर मृतक की जगह वारिसान का इन्द्राज किया जावे। इस प्रकरण में पटवारी स्वयं ने सिर्फ पुत्रों का नाम दर्ज किया तथा स्वीकृतिकर्ता ने वारिसान की जांच किए बिना ही केवल दो पुत्रों मिसाराम व गोविन्दराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया है निर्विवाद रूप से अपीलांट कमला व सुआ श्री नेनाराम की पुत्रियां है। इस तथ्य को प्रत्यर्थीगण ने इंकार नहीं किया है तथा अपीलांटस हिन्दु धर्म से होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार एक निर्वसीयती हिन्दु पुरूष की मृत्यु होने पर उसकी सम्पति अनुसूची के वर्ग प्रथम में वर्णित उत्तराधिकारियों में हिस्से अनुसार निर्गमित होगी। प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों में पुत्रियां, पुत्र, विधवा इत्यादि सम्मिलित है। कानून में विवाहित व अविवाहित पुत्रियों की बीच पिता की सम्पति में उत्तराधिकार से सम्पति प्राप्त करने में भेदभाव नहीं किया है। ऐसा ही अभिमत नारायनी बाई बनाम हरियाणा राज्य एआईआर 2004 (पी एण्ड एच) 206, व शोभाग्य जोगा नाइक बनाम नारायणी, एआईआर 2004 Kant 430 में प्रतिपादित किया गया है।

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत ने विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा आरआरटी 2020 (2)998 एस.सी. में 3 जज बेंच ने निर्णय दिनांक 11.08.2020 से प्रकाश बनाम फूलवंती (16.10.2015) व दनम्मा उर्फ सुमन सुरपुर बनाम अमर (नि.दि. 01.0[illegible] को अतिक्रमित करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि हिन्दु उत्तराधिकार [illegible] 1956 की धारा 6 में 2005 के अधिनि[illegible] से प्रभावी) किये गये संशोधन से पुत्रियों को जन्म से ही पिता [illegible]म्पति में अधिकार प्राप्त होंगे तथा पुत्र व पुत्रियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 10:34:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विधिक स्थिति अनुसार प्रत्यर्थीगण का यह तर्क नहीं माना जा सकता कि अपीलांट्स की शादी हो चुकी है, उनका संपति पर कब्जा नहीं है तथा संपति सहदायिकी है, जिसमें महिला अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

(ii) विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पैतृक संपति में उत्तराधिकारियों के मामले में सहखातेदारों का कब्जा होना या न होना कोई मायने नहीं रखता है।

(iii) निर्विवाद रूप से हस्तगत प्रकरण में संपति कृषि भूमि है, जिसमें राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 40 के प्रावधानानुसार टिनेन्ट्स के व्यक्तिगत कानून अनुसार कृषि भूमि में अधिकार, हित, आधिपत्य के अधिकारों का न्यायगमन होगा तथा इसमें काश्तकार की मृत्यु होने पर संपति कानूनी प्रावधानानुसार उत्तराधिकारियों में उनके व्यक्तिगत कानून अनुसार न्यायगमित होकर निहित हो जाती है, जो अपीलांट्स पर लागू होते है।

C. अपीलांट्स ने यह अपील 24.05.1986 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दिनांक 24.12.2021 को 35 वर्ष बाद पेश की है तथा अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु एक प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पास किया है तथा उसे पारित करते समय उन्हे कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलांट्स अनपढ़ महिलाए है तथा ससुराल में रहती है। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.12.2021 को पटवारी से नकल लेने हेतु जाने पर हुई तथा 08.12.2021 को नकल प्राप्त की तथा 24.12.2021 को यह अपील पेश की जा रही है। जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में सद्भाविक रूप से देरी हुई है, जिसे न्यायहित में स्वीकार की जावे। प्रत्यर्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन में लिखित जवाब पेश किया है, जिसमें विस्तृत रूप से कई दृष्टिकोणों को आधार बनाकर अपील म्याद बाहर पेश होना माना जाकर खारिज करने की प्रार्थना की है। इस जवाब में अंकित एतराजों का संक्षिप्त विवरण इस निर्णय के पैरा 4 में अंकित किया जा चुका है, जिसकी यहां पुनरावृति करने की आवश्यकता नहीं है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि म्याद का कानून केवल दिखावटी कानून नहीं है, इसका निश्चित उद्देश्य है कि पक्षकारों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर न्याय निर्णयन के लिए न्यायालयों में वाद, अपीले/प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु पाबंद किया जावे, ताकि अंतिम व त्वरित न्याय किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सके। प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाब में कई न्यायिक दृष्टांतों का संदर्भ दिया है, जिनका सम्मान सहित अवलोकन किया। प्रत्यर्थीगण का एक ही तर्क है कि आदेश दिनांक 24.05.1986 व हस्तांतरणों की जानकारी अपीलांट्स को बहुत पहले से ही है तथा प्रार्थना पत्र में झूठी मनगढंत कहानी बनाकर दिनांक 05.12.2021 की तिथी को जानकारी होने का झूठा कथन सिर्फ अपील को म्याद की सीमा में लाना है। प्रत्यर्थीगण ने अपने उक्त अभिकथनों के समर्थन में एक भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.1986 की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 05.12.2021 से पूर्व में अमुक तिथि से थी तथा न ही अपने लिखित कथनों के समर्थन में तस्दीकसुदा शपथ पत्र पेश किया हैं। अतः साक्ष्य/सबूत के अभाव में प्रत्यर्थीगण के कथनों को मान्य नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट्स ने शपथ पत्र सहित प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रकरण का उत्तराधिकार से संबंधित होने तथा प्रकरण के विशेष तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद पेश होना शुमार की जाती है तथा अपील का निस्तारण उपरोक्त विवेचना व विश्लेषण अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

10. उपर्युक्त विवेचनानुसार उत्तराधिकार से संबंधित स्वीकृत नामांतरकरण को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य है। फलस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम झंवर का नामांतरकरण सं. 853 व उस पर पारित आदेश दिनांक 24.05.1986 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, झंवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि श्री नैनाराम पुत्र बस्ताराम के कानूनी वारिसान की जांच कर सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित व पर्याप्त अवसर प्रदान किया जावे तथा विधि अनुसार निर्णित कर नैनाराम के विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज कर उसका राजस्व अभिलेखों में नियमानुसार इंद्राज किये जावे।

11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख [illegible]दार (भू.अ.), झंवर, जिला जोधपुर को लौटाया जावे। उभयपक्षी [illegible] तहसीलदार, झंवर के न्यायालय में दिनांक [illegible] यथासंभव प्रकरण निस्तारण 03 माह में किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

12. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो ।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:46 IST
Reason: SelfAttested